संख्या-21/2017/298/41-2017-44 यो0/13

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-10319/6-1-1(रामघाट, चित्रकूट)/2017, दिनांक29-03-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के सौन्दर्यीकरण की योजना के लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-325.99 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त रू0-61.99 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 42/1490/41-2014-44 यो0/13 दिनांक 23.09.2014 द्वारा निर्गत की गई है तथा प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-16 में प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 56.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 65/2015/719/41-2015-44 यो0/13, दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से पी0आई0डी0डी0सी0 योजना डी-लिंक कर दिये जाने के पश्चात इस मद में भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान नहीं की गयी । अत: शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन के स्तर पर दिनांक 24.06.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि उक्त परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 264.00 लाख मात्र धनराशि की आवश्यकता है। अत: उक्त लिये गये निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 264.00 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 132.00 लाख (रूपये एक करोड बत्तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 15/2016/3739(1)/41-2015-44 यो0/13, दिनांक 03.02.2016 द्वारा प्रदान की गयी।

4- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण की योजना के अवशेष कार्यो हेतु अवशेष धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में रू0 132.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (80)/2013, दिनांक 04-03-2014 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित किये जाने के पूर्व इस कार्य हेतु पूर्व में निर्गत की गयी स्वीकृतियों के सापेक्ष कराये गये कार्य का सक्षम स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप मसे प्राप्त कर लिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(8) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-4 में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/20156/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-21/2017/298(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड प्रथम, कर्वी, चित्रकूट।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।